

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अमिलेख संख्या-140(11)18-19/2016 (अन्तर्गत धारा 3(ii), BER Act, 1950)

सूचना

बनाम शान्त प्रसाद पाण्डेय  
सिता कमलापति पाण्डेय  
सोनेरिघा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा सोनेरिघा थाना नं०- 68  
खाता नं०- 9, 11, 30, 32 खिसरा नं०- — रकबा- 3.15 रुसे संबंधित आपके नाम से  
ह० नं०- 35 के पंजी-11 भाग 01 के पृष्ठ 82 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-10.4.18 को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए  
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

स्थान:-



अंचल अधिकारी

10/4/18  
बिनोद सिन्हा